| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स<br>अलीलाल v/s रामस्वरूप वगैरह<br>दावा | नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए । |
|---|---|---|
| 19/1/17 | वकील फरीकेन उप०/ प्रतिवादी । फरियाद PW1 से जिरह रिकार्ड की गई। प्रतिवादी ओर कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते फाईनल बहस निर्णय 16/2/17 को पेश हो। Riy | |
| 16/2/17 | वकील फरीकेन उप०/ PO साहब अवकाश / दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 2/3/17 ...को पेश हों। | |
| 2/3/17 | वकील फरीकेन उप०/ बहस फाईनल सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23/3/17 को पेश हो। Riy | |
| 23/3/17 | वकील फरीकेन उप०/ दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 6 खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कटे। Riy | |

# न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजपाल यादव (आर0ए0एस0) उप जिला कलक्टर सपोटरा

| मु0नं0 | किस्म | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 61 / 12 | दावा | 5.10.2012 | 23.03.2017 |

## उनवान

बत्तीलाल पुत्र बद्री उम्र 45 साल जाति बैरवा निवासी एदलपुर तहसील सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)।

–वादी

## बनाम

1. रामदयाल पुत्र हरदेव
2. सेठी
3. सोनू
4. हरिन्द्र
5. रमाकान्त

पि0 रामदयाल

6. सन्तरा पत्नि रामदयाल

जाति बैरवा निवासी एदलपुर तहसील सपोटरा जिला करौली

–प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "वादी ने उपरोक्त धारा के तहत एक वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौजा एदलपुर तहसील सपोटरा जिला करौली में आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 02 बीघा 5 बिस्वा वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि हैं जिस पर दिगर व्यक्ति का कोई वास्ता नहीं हैं । दिनांक 11.09.2012 को मैं अपनी उक्त आराजीयात में फसल काश्त करने गया था तो प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 मौके पर आकर कहने लगे कि इस जमीन में हम लठठ् के बल पर जे0सी0बी0 से डोल मेढ तोडकर हमारी आराजी में मिला लेगें । प्रतिवादीगण उक्त आराजी से ताकत के बल पर मुझ वादी को बेदखल करना चाहते हैं अतः प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेध आज्ञा से पाबन्द किया जावें कि मुझ वादी की उपरोक्त विवादित आराजी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट न तो स्वंय डाले ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से डलवाये और ना ही जे0सी0बी0 से डोल मेढ तोडकर अपनी आराजी में मिलावें।"

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन अपना पक्ष रखने हेतु तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 ने दिनांक 22.08.2013 को अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार " प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 340 को वादी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है लेकिन अन्य इबारत को अस्वीकार किया है प्रतिवादीगण का कथन है कि दिनांक 06.07.2011 को प्रतिवादी नं0 6 की ग्राम एदलपुर में स्थित खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 339 / 1 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का सीमाज्ञान तहसीलदार सपोटरा के आदेशानुसार कराया था जिससे नाराज होकर वादी जो कि

उप जिला कलक्टर सपोटरा, जिला-करौली

Scanned by CamScanner

हमारा पडोसी खातेदार है, ने झुठा वाद पत्र बनाकर पेश किया है । अतः वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा प्रतिवादी नं0 6 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर इस आशय की डिकी प्रदान की जावें कि वादी प्रतिवादी नं0 6 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं0 339/1 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा के कब्जे काश्त में बाधा या रूकावट न तो स्वंय पैदा करे और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करवायें ।

वादी के वाद पत्र एवं जबाब दावे के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादी आराजी ख0नं0 340 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा एदलपुर तहसील सपोटरा का खातेदार व काश्तकार है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक नहीं हैं ? **–वादी**
2. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है ? **–वादी**
3. आया वादी का दावा झूंठा एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है । इसलिए दावा वादी खारिज होने योग्य हैं ? **–प्रतिवादीगण**
4. आराजी खं0नं0 339/1 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम एदलपुर तहसील सपोटरा का प्रतिवादी संख्या 06 खातेदार काश्तकार हैं जिसमें वादी अन्दर घुसकर अतिक्रमण करने पर आमादा है । इसलिए प्रतिवादीगण वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं ? **–प्रतिवादीगण**

साक्ष्यवादी में वादी बत्तीलाल ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिसे बाद जिरह शामिल पत्रावली किया गया तथा साक्ष्य वादी बन्द की गई । साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिसे वाद जिरह शामिल पत्रावली किया जाकर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई । उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की अन्तिम बहस सुनी गई ।

वाद पत्र, जबाब दावा, साक्ष्यवादी, साक्ष्य प्रतिवादी एवं सलंग्न दस्तावेजों के अवलोकन एवं अध्ययन करने एवं उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात् उक्त प्रकरण में तनकीवाईज कमानुसार निर्णय इस प्रकार हैं :–

**तनकी नं0 1:–** पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी सम्बत् 2066 से 2069 के अनुसार मौजा एदलपुर तहसील सपोटरा जिला करौली का विवादित खसरा नम्बर 340 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा बत्तीलाल पुत्र बद्री जाति बैरवा निवासी एदलपुर के नाम पर खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं अतः रिकार्ड आफ राईट्स के रूप में विख्यात जमाबन्दी के अनुसार उक्त विवादित आराजी वादी के नाम पर खातेदारी के रूप में दर्ज हैं जिसमें दीगर किसी भी व्यक्ति का न तो कोई हिस्सा है तथा न ही कोई लेना देना है अर्थात् उक्त विवादित आराजी का वादी सेपरेट खातेदार काश्तकार है । अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं ।

उप जिला कलक्टर सपोटरा, जिला-करौली

**तनकी नं0 2:–** वादी विवादित आराजी का सेपरेट खातेदार काश्तकार है अतः वादी को यह अधिकार है कि उसकी सेपरेट खातेदारी में कोई भी दीगर व्यक्ति किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हिस्सा रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं यह बात प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे के बिन्दु संख्या 01 में स्वंय स्वीकार की हैं। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को अपनी रिकार्डेड कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी हैं। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं ।

Scanned by CamScanner

**तनकी नं0 3:–** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था लेकिन प्रतिवादीगण ने न तो किसी पडोसी खातेदार से साक्ष्य दिलवाई हैं और न ही किसी निष्पक्ष व्यक्ति की गवाही/साक्ष्य प्रस्तुत किया हैं जिससे यह साबित हो सकें कि वादी का वाद पत्र झूंठा एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती हैं।

**तनकी नं0 4:–** पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के अनुसार मौजा एदलपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 339/1 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि संतोषी देवी पत्नि रामदयाल जाति बैरवा निवासी एदलपुर के नाम पर खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है लेकिन वादी ,प्रतिवादी संख्या 06 की उक्त आराजी में अन्दर घुसकर अतिक्रमण करने पर आमादा हैं इस सम्बन्ध में कोई ठोस सबूत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान के मौका पर्चा दिनांक 06.07.2011 के अनुसार हल्का पटवारी ने संतोषी देवी को अन्य मौतविरान के समक्ष उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 339/1 का सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें संतोषी देवी के सीमाज्ञान से संतुष्ट होने का उल्लेख किया गया है । इस मौका पर्चा से स्पष्ट है कि संतोषी देवी की आराजी में किसी पडोसी खातेदार का अनाधिकृत कब्जा नहीं पाया गया था यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 06 ने अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने का कोई आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया था तथा न ही इस प्रकार का आवेदन पत्र पेश करने का कथन प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे में किया हैं । इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 की भूमि में घुसकर अतिक्रमण करने का कोई ठोस सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के कारण यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती हैं ।

उपरोक्त तनकीवाईज विवेचन के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित हैं ।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 01 लगायत 06 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की सेपरेट खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा मौजा एदलपुर तहसील सपोटरा जिला करौली के कब्जे काश्त में न तो स्वंय बाधा /रूकावट डाले तथा न ही दीगर व्यक्ति से बाधा/रूकावट डलवाये। प्रतिवादी संख्या 06 का काउण्टर क्लेम ठोस सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता हैं। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा

Scanned by CamScanner